उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर (नैनीताल)

विभिन्न प्रकार की शुल्क दरें एवं अभिलेख प्राप्त करने की प्रक्रिया

प्रस्तुतकर्ता– अत्री कुमार भारद्वाज,
शोध अधिकारी

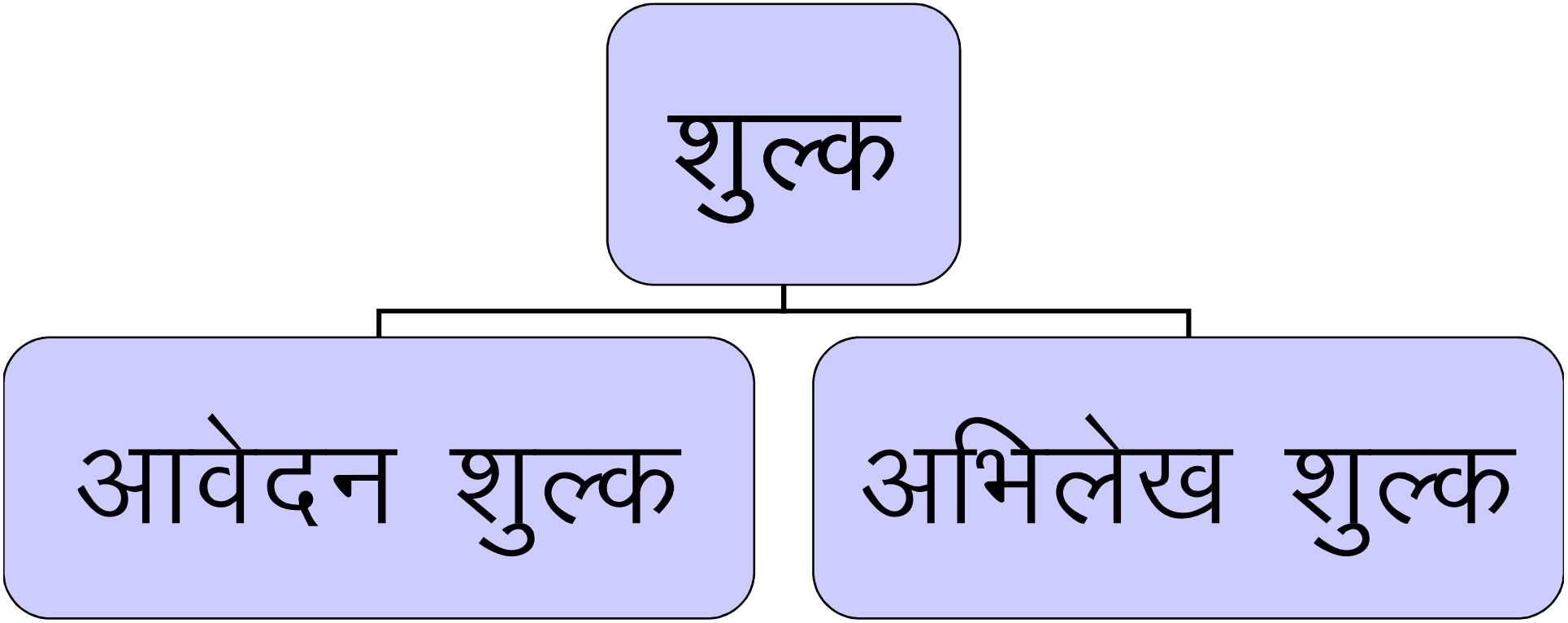
शुल्क
आवेदन शुल्क
अभिलेख शुल्क

आवेदन शुल्क

- अधिसूचना संख्या– 214/ XXIV-5 / 2013 /2 (17) /2008 देहरादून दिनांक 12 जुलाई 2013 द्वारा संशोधित शुल्क परिषद् द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित है।
- **हाईस्कूल परीक्षा :** (क) किसी मान्याता प्राप्त संस्था के प्रत्येक परीक्षार्थी से 200 रूपये।
  (ख) व्यक्तिगत परीक्षार्थी से 600 रूपये।
- **इण्टरमीडिएट परीक्षा :** (क) किसी मान्याता प्राप्त संस्था के प्रत्येक परीक्षार्थी से 350 रूपये।
  (ख) व्यक्तिगत परीक्षार्थी से 700रूपये।

➢(ग)–इण्टरमीडिएट

कृषि (भाग–1) परीक्षा : (क) किसी मान्याता प्राप्त संस्था के प्रत्येक परीक्षार्थी से 350 रूपये।

(ख) प्रत्येक व्यक्तिगत परीक्षार्थी से 700 रूपये।

➢(घ) इण्टरमीडिएट

कृषि (भाग–2) परीक्षा : (क) किसी मान्याता प्राप्त संस्था के प्रत्येक परीक्षार्थी से 350 रूपये।

(ख) प्रत्येक व्यक्तिगत परीक्षार्थी से 700 रूपये।

➢(ड़)–एक विषय की परीक्षा के लिए : 150 रूपये।

➢ विलम्ब शुल्क : 150 रूपये ।

➢ किसी संस्थागत / व्यक्तिगत परीक्षार्थी द्वारा किसी परीक्षा में प्राप्त ब्योरेवार अंको के प्रेषण का अनिवार्य शुल्क : 10 रूपये । इस शुल्क का आधा सम्बन्धित संस्था के प्रधान द्वारा रख लिया जायेगा, जिसका व्यय विवरण निम्नवत् होगा :–

(क) नामावली बनाने हेतु 12.5 प्रतिशत ·

(ख) संख्या सूचक चक्र निर्माण हेतु 12.5 प्रतिशत।

(ग) प्राप्तांक पत्रों को तैयार करने तथा उसकी जांच हेतु 50प्रतिशत।

(घ) प्राप्तांक प्राप्त करने की प्रक्रिया में डाक टिकट तथा लेखन– सामग्री इत्यादि मदों में व्यय हेतु 25 प्रतिशत।

व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के आवेदन अग्रसारण हेतु शुल्क : 10 रूपये।

प्रवेश पत्र की द्वितीय प्रतिलिपि का शुल्क : 50 रूपये।

अभिलेख शुल्क

- परीक्षार्थी के परीक्षाफल की सन्निरीक्षा का शुल्क : 100 रूपये प्रति प्रश्न पत्र
- मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति प्राप्त करने का शुल्क : 400 रूपये प्रति विषय।
- किसी संस्थागत / व्यक्तिगत परीक्षा के अंक पत्र की द्वितीय प्रतिलिपि का शुल्क : 50 रूपये।

- परीक्षार्थी को निर्गत प्रमाण –पत्र में नाम परिवर्तन कराने का शुल्क : 100 रूपये।
- प्रमाण–पत्र की द्वितीय प्रतिलिपि का शुल्क : 100रूपये प्रति परीक्षा
- जिस वर्ष परीक्षा हुई थी उसके 31 मार्च से 5 वर्ष के अन्दर न लिए गये प्रमाण–पत्र का शुल्क : 200 रूपये।
- किसी संस्थागत/व्यक्तिगत परीक्षार्थी के लिए प्रब्रजन प्रमाण –पत्र निर्गत होने का शुल्क : 50 रूपये।

अभिलेख प्राप्त करने की प्रक्रिया

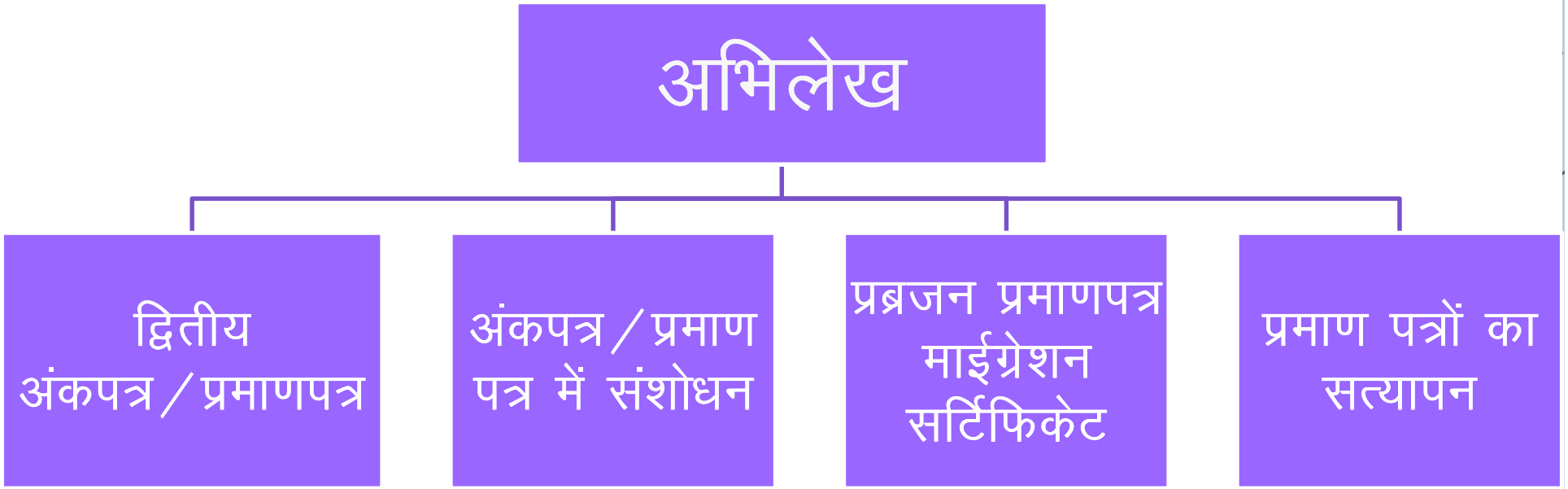

द्वितीय अंकपत्र/प्रमाणपत्र निम्न स्थिति में दिया जायेगा।

1– मूल अंकपत्र/प्रमाणपत्र खो जाने अथवा नष्ट हो जाने की दशा में।

2– मूल अंकपत्र/प्रमाणपत्र के खराब हो जाने, विरूपित हो जाने अथवा कट फट जाने की दशा में।

3– मूल अंकपत्र/प्रमाणपत्र की प्रविष्ठियां धूमिल हो जाने की दशा में।

4– मूल अंकपत्र/प्रमाणपत्र अस्वामिक होने पर नष्ट कर दिये जाने की दशा में

नोट– बिन्दु 2 तथा 3 की स्थिति में मूल अंकपत्र/ प्रमाणपत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

अस्वामिक प्रमाणपत्र

- ऐसे प्रमाणपत्र जो परीक्षाफल घोषित करने के बाद विद्यालय को प्रेषित किये गये हैं तथा उन्हें परीक्षार्थी द्वारा 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी विद्यालय से प्राप्त नहीं किया है। विद्यालय ऐसे प्रमाणपत्रों को 5 वर्ष बीत जाने के बाद परिषद् कार्यालय को वापस भेज देगा तथा छात्र को परिषद् निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद ही उसे प्रमाणपत्र देगा। अस्वामिक प्रमाणपत्रों को 20 वर्ष की अवधि के उपरान्त परिषद् द्वारा नष्ट कर दिया जायेगा। यदि उसके बाद भी कोई परीक्षार्थी अपना प्रमाणपत्र चाहता है तो उसे उक्त प्रमाणपत्र की द्वितीय प्रतिलिपि हेतु नियमानुसार आवेदन करना होगा।

द्वितीय अंकपत्र./प्रमाणपत्र प्राप्त करने की विधि

अंकपत्र

द्वितीय अंकपत्र प्राप्त करने के लिए परीक्षार्थी अथवा विशेष परिस्थिति में अविभावक द्वारा सादे कागज पर अवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र में परीक्षार्थी का स्पष्ट नाम , अनुक्रमांक, उत्तीर्ण/ अनुत्तीर्ण का वर्ष, संस्थागत /व्यक्तिगत तथा विद्यालय का पूरा नाम अंकित होना चाहिए।आवेदन पत्र के साथ राजकोष/ बैंक में चालान पत्र द्वारा जमा निर्धारित शुल्क की मूल चालान की प्रति संलग्न हानी चाहिए।

प्रमाण पत्र

1–द्वितीय प्रमाणपत्र हेतु परिषद् द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र पर आवेदन किया जायेगा।।

2– रूपया 10=00 के स्टाम्प पर शपथ पत्र जो प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/ नोटरी द्वारा प्रमाणित हो।(ओथ कमिश्नर द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र मान्य नहीं है)

3–प्रथम मूल प्रमाणपत्र के खो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में परीक्षार्थी द्वारा इस सत्य को राज्य के किसी दैनिक समाचार पत्र के एक संस्करण में विज्ञापित करना होगा और इस समाचार पत्र की प्रति (पूरा पेज) जिसमें विज्ञप्ति निकली है, आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।

शुल्क

अंकपत्र

द्वितीय अंकपत्र प्राप्त करने के लिए विनियम के अध्याय बारह (परीक्षा सम्बन्धी सामान्य निर्देश) के प्राविधानो के अनुसार रूपया 50=00 मात्र शुल्क निर्धारित है।

प्रमाण पत्र

द्वितीय अंकपत्र प्राप्त करने के लिए विनियम के अध्याय बारह (परीक्षा सम्बन्धी सामान्य निर्देश) के प्राविधानो के अनुसार रूपया 100=00 मात्र शुल्क निर्धारित है।

अंकपत्र/प्रमाणपत्र प्रदान किये जाने की अवधि

अंकपत्र

सामान्यतया परीक्षार्थी द्वारा निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन करने पर उसी दिन द्वितीय अंकपत्र प्राप्त करा दिया जाता है। डाक द्वारा अंकपत्र सामान्य डाक द्वारा प्रेषित किया जाता है। पंजीकृत डाक से अंकपत्र प्राप्त करने हेतु परीक्षार्थी को स्वपता लिखा पंजीकृत डाक हेतु निर्धारित डाक टिकट लगा लिफाफा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।

प्रमाण पत्र

प्रक्रिया लम्बी होने के कारण 2 माह का समय लग जाता है अतः उससे पूर्व किसी भी प्रकार का पत्र व्यवहार नहीं किया जाय।

प्रमाण्पत्र की द्वितीय प्रति परीक्षार्थी का सीधे नही दी जायेगी। बल्कि उसके पते पर पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित कर दी जायेगी।

द्वितीय प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु कुछ महत्वपूर्ण तथ्य

- देश से बाहर निवास करने वाले छात्र मनीआर्डर से भी शुल्क का प्रेषण कर सकते हैं। मनीआर्डर द्वारा शुल्क भेजते समय मनीआर्डर कूपन में निम्नलिखित का उल्लेख होना आवश्यक है अन्यथा मनीआर्डर वापस कर दिया जायेगा। आवेदन पत्र के साथ मनीआर्डर की रसीद (जो इस कार्यालय द्वारा मनीआर्डर प्राप्त करने के बाद हस्ताक्षर सहित वापस की जाती हैं न कि मनीआर्डर करने की पोस्टल रसीद) संलग्न किया जाना आवश्यक है।
- अनुक्रमांक – ..... परीक्षा का नाम.....परीक्षा वर्ष.....
- शुल्क जिस हेतु भेजा जा रहा है..... हस्ताक्षर.....
- किसी भी दशा में छात्र को प्रमाणपत्र की द्वितीय प्रति कार्यालय में प्रदान नहीं की जायेगी।
- छात्र को प्रमाणपत्र की तीसरी प्रतिलिपि उन्हीं दशाओं में प्रदान की जायेगी जिन दशाओं में द्वितीय प्रतिलिपि दी जाती है। प्रमाणपत्र की तीसरी प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु शपथ पत्र में यह अंकित करना होगा कि प्रमाणपत्र की मूल तथा द्वितीय प्रतिलिपि दोनों खो गयी हैं तथा इसी प्रकार समाचार पत्र में प्रकाशित सूचना में भी परिवर्तन किया जायेगा।
- यदि हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट प्रमाणपत्रो ंकी द्वितीय प्रतिलिपि एक साथ प्राप्त करनी हो तो एक ही शपथपत्र तथा एक ही समाचार पत्र की प्रतिलिपि संलग्न की जा सकती है केवल शुल्क अलग–अलग जमा कराना होगा। ध्यान रहे कि एक बार प्रमाणपत्र की प्रति प्राप्त करने हेतु जमा शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा।

अंक पत्र/प्रमाण पत्र में संशोधन

परीक्षाफल घोषित होने के उपरान्त परीक्षार्थी के अंक पत्र/प्रमाण पत्र में यदि कोई त्रुटि प्राप्त होती है तो उसे तत्काल संशोधन हेतु परिषद् कार्यालय को प्रेषित किया जाना चाहिए। ध्यान रहे संशोधन प्रधानाचार्य की आख्या तथा संशोधन हेतु दिये गये साक्ष्यों के आधार पर ही किये जाते हैं। अंकपत्र तथा प्रमाणपत्र में संशोधन करने का अधिकार केवल परिषद् कार्यालय को ही है।

अंक पत्र/प्रमाण पत्र में होने वाली त्रुटियाँ

- परीक्षार्थी के नाम में त्रुटि
- माता के नाम में त्रुटि
- पिता के नाम में त्रुटि
- जन्म तिथि में त्रुटि
- विद्यालय के नाम में त्रुटि

संशोधन हेतु प्रस्तुत करने की अवधि

- परीक्षार्थी को अंकपत्र अथवा प्रमाणपत्र प्रदान कराने से पूर्व उनकी प्रविष्टियों की प्रधानाचार्य अपने स्तर से जांच कर लें कि सभी प्रविष्टियाँ सही हैं। यदि कोई त्रुटि दृष्टिगत होती है तो उसे तत्काल आवश्यक अभिलेखों के साथ परिषद् कार्यालय को पंजीकृत डाक अथवा वाहक के द्वारा प्रेषित करें।
- परीक्षार्थी को अंक पत्र प्रदान करने के उपरान्त त्रुटि दृष्टिगत होती है तो अंकपत्र अथवा प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने के दो वर्ष के अंतर्गत संशोधन हेतु अवश्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- दो वर्ष के उपरान्त यदि संशोधन हेतु अंकपत्र अथवा प्रमाण पत्र भेजे जाने पर प्रधानाचार्य द्वारा विलम्ब का कारण स्पष्ट करते हुए आख्या प्रस्तुत करनी होगी।

प्रमाण पत्र अथवा अंक पत्र में संशोधन हेतु आवश्यक प्रपत्र

- संशोधन हेतु अंक–पत्र तथा प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
- प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या की आख्या एवं संस्तुति।
- प्रधानाचार्य द्वारा परिशिष्ट 'ख' में शुद्ध तथा अशुद्ध की आख्या (अंग्रेजी के बडे अक्षरों में छात्र पंजिका के अनुसार)
- जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित स्थानान्तरण प्रमाणपत्र (TC) की प्रति।
- हस्तलिखित नामावली की प्रमाणित छाया प्रति।
- जन्मतिथि में संशोधन हेतु जिला शिक्षा अधिकारी की आख्या एवं संस्तुति प्रदान करने का प्रमाणपत्र।
- दो वर्ष के उपरान्त संशोधन हेतु भेजे जाने पर प्रधानाचार्य की स्पष्ट आख्या।
- अभिवावक द्वारा रू0 10=00 के जुडिशियल स्टांम्प पर इस आशय का शपथ पत्र कि छात्र सरकारी सेवा में नहीं है।

संशोधन में लगने वाला समय

प्रमाणपत्र तथा अंकपत्रों में संशोधन हेतु प्राप्त अनुरोधपत्रों को एकत्रित होने पर लॉट में संशोधन हेतु कम्प्यूटर फर्म को प्रेषित किया जाता है तथा वहां से संशोधनोपरान्त प्राप्त होने पर जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रधानाचार्य को प्रेषित किये जाते हैं। इस सम्पूर्ण प्रक्रिया में लगभग 3 माह का समय लग जाता है। अतः प्रेषण की तिथि से 3 माह तक इस सम्बन्ध में कोई पत्र व्यवहार नही किया जाना चाहिए।

प्रमाणपत्र में गलत फोटो अथवा फोटो न छपने की दशा में

यदि किसी छात्र/छात्रा को फोटो प्रमाणपत्र मे नहीं छपा है अथवा गलत फोटो छपा है तो परीक्षार्थी द्वारा प्रधानाचार्य के माध्यम से आवेदन करना होगा जिसमें प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित एक फोटो चस्पा करेगा तथा प्रमाणित फोटो की दूसरी प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जायेगी। फोटो के पृष्ठ भाग में परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अवश्य लिखें।

प्रमाणपत्रों में नाम परिवर्तन

- विशेष परिस्थितियों में परिषद् परीक्षार्थी द्वारा विनियम की धारा 17 (8) में निर्धारित शुल्क देने पर प्रमाणपत्र में परीक्षार्थी के नाम में परिवर्तन कर सकता है।

  परीक्षार्थी के नाम में निम्न कारणों के होने पर ही परिवर्तन किया जायेगा।

- नाम में भद्दापन।
- नाम से अपशब्द की ध्वनि निकलना।
- नाम असम्मानजनक प्रतीत होना।
- परिषद् द्वारा परीक्षार्थी के नाम के पहले या बाद में उपनाम, धर्म, जाति,उपाधि अथवा सम्मानजनक शब्द जोडने के लिए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

प्रमाण–पत्रों में नाम परिवर्तन हेतु शुल्क

- एक परीक्षा के लिए परीक्षार्थी को निर्गत प्रमाणपत्र में नाम परिवर्तन हेतु 100=00 रूपया शुल्क निर्धारित किया गया है।
- यदि परिषद् द्वारा किसी परीक्षा के लिए नाम परिवर्तन कर दिया जाता है तो अन्य परीक्षाओं के प्रमाणपत्र में जो परीक्षार्थी को पहले अथवा बाद में निर्गत हुए हों, बिना शपथ–पत्र के प्रति प्रमाणपत्र 100=00 रूपया शुल्क देने पर नाम में परिवर्तन कर दिया जायेगा।

प्रमाण पत्र में नाम परिवर्तन की विधि

- आवेदन पत्र प्रधानाचार्य के माध्यम से प्रस्तुत किया जायेगा।
- परीक्षा वर्ष की 31 मार्च से तीन वर्ष के भीतर आवेदन करना होगा।
- आवेदक द्वारा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी द्वारा यथा विधि प्रमाणित शपथ पत्र देना होगा। जिसमें नाम परिवर्तन के वैध कारण परीक्षार्थी द्वारा दिये जाएंगे।
- नाम परिवर्तन हेतु परीक्षार्थी जहॉ निवास करता है वहॉ के किसी दैनिक समाचार पत्र में तीन विभिन्न तिथियों के संस्करणों में नाम परिवर्तन को विज्ञापित करायेगा। तथा सम्बन्धित तिथियों के समाचार पत्रों की प्रतियों को आवेदन पत्र के साथ संलग्न करेगा।

प्रव्रजन प्रमाणपत्र (Migration Certificate)

- प्रब्रजन प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु परीक्षार्थी को 50=00 रूपया शुल्क का चालान द्वारा अदा करना होगा तथा चालान की मूल प्रति के साथ सादा कागज पर आवेदन करना होगा।
- माइग्रेशन प्रमाणपत्र आवेदक को आवेदन के दिन ही प्रदान कर दिया जाता है। डाक द्वारा प्राप्त करने की दशा में भी आवेदन पत्र प्राप्ति के दिन की प्रमाणपत्र तैयार कर प्रेषित कर दिया जाता है।

प्रमाणपत्रों का सत्यापन

- किसी भी सेवायोजक द्वारा परीक्षार्थी के प्रमाणपत्र परिषद् कार्यालय को सत्यापन हेतु प्रेषित कर सकता है। सत्यापन का कार्य पूर्णतः गोपनीय कार्य है तथा इसके सम्बन्ध में सूचना परीक्षार्थी को प्रदान नहींकी जाती अपितु यह सीधे उस संस्था को प्रदान की जाती है जिसके द्वारा उसे मांगा गया हैं।
- सत्यापन हेतु परीक्षार्थी द्वारा किये गये किसी भी अनुरोध को कदापि स्वीकार नही किया जायेगा।

शुल्क का चालान हेतु हेड

सभी शुल्क निम्न लेखा शीर्षक में जमा किये जायेगे।

- 0202 – शिक्षा, खेल–कला एव संस्कृति।
- 01 –सामान्य शिक्षा।
- 102 – माध्यमिक शिक्षा।
- 02 – बोर्ड परीक्षाओं का शुल्क

परिषदीय परीक्षाओं की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की छाया प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

1– परीक्षार्थी का नाम– .....

2– माता का नाम.....

3– पिता का नाम–.....

4– कक्षा तथा वर्ष–.....

5– अनुक्रमांक–.....

6– विषय (जिसकी उत्तरपुस्तिका की छाया प्रति प्राप्त करनी है) 1– .....

2– ..... 3– ..... 4– .....

5– .....

7–पत्र व्यवहार का पता–.....

.....

..... मोवाइल नं0–.....

8– शुल्क का विवरण–

चालान संख्या	दिनांक	बैंक का नाम	धनराशि

मैं.....पुत्र/पुत्री श्री.....

सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता /करती हूँ कि मै परिषद् से प्राप्त अपनी मूल्यांकित उत्तरपुस्तिका / उत्तरपुस्तिकाओं में परीक्षक द्वारा किये गये मूल्यांकन के विषय में परिषदीय विनियमों में विहित प्राविधानों का पालन करूँगा/करूँगी तथा उक्त उत्तरपुस्तिका/उत्तरपुस्तिकाओं को किसी भी प्रकार से प्रकाशित किये जाने हेतु उपयोग नहीं करूँगा /करूँगी।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर–

नाम–

दिनांक–

हाईस्कूल/ इण्टरमीडिएट परिषदीय परीक्षाओं की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की छाया प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रक्रिया

1– मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं की छाया प्रति प्राप्त करने हेतु परीक्षाफल घोषणा के उपरान्त उपरोक्त प्रारूप में आवेदन करना होगा।

2– उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 217/XXIV-5/2013/2(17)/ 2008 देहरादून दिनांक 12 जुलाई 2013 के द्वारा मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं की छाया प्रति हेतु रू0 400=00 प्रति प्रश्न पत्र शुल्क का निर्धारण किया गया है। अतः मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं की छाया प्रति चाहने हेतु परीक्षार्थी को लेखा शीर्षक–**0202 –शिक्षा, खेल कला एवं संस्कृति, 01– सामान्य शिक्षा, 102– माध्यमिक शिक्षा, 02– बोर्ड परीक्षाओं का शुल्क** में प्रत्येक विषय हेतु रू0 400=00 का ट्रेजरी चालान लगाना होगा।

3– परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ रू0 400=00 प्रति विषय की दर से चालान लगाकर उसकी मूल प्रति संलग्न कर स्वयं अथवा स्पीड पोस्ट द्वारा सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर जिला नैनीताल को परीक्षाफल घोषणा के उपरान्त प्रेषित करना होगा। परिषदीय विनिष्टीकरण नियमावली के अनुसार परिषदीय परीक्षाओं की सभी उत्तरपुस्तिकाएं परीक्षाफल घोषणा के 6 माह अथवा सन्निरीक्षा परीक्षाफल घोषणा के उपरान्त विनिष्ट कर दी जाती हैं। विनिष्टीकरण के उपरान्त उत्तरपुस्तिका की छाया प्रति चाहने हेतु किये गये किसी भी प्रार्थना पत्र पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा।

4– उपरोक्त संलग्नकों के न होने अथवा अपूर्ण आवेदन पत्र बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिये जायेगे। एक बार जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा।

5– उत्तर पुस्तिका में उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम 2006 के अधीन विहित विनियमों के अध्याय 12 के विनियम 16 ड; के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा जिसमें **उल्लिखित किया गया है कि सन्निरीक्षा से तात्पर्य उत्तरपुस्तिकाओं का पुर्नमूल्यांकन नहीं है। सन्निरीक्षा कार्य में परीक्षार्थियों की उत्तरपुस्तिका में यह देखा जायेगा कि परीक्षर्थी की उत्तर पुस्तिका में क्या अलग–अलग प्रश्न में दिये गये अंकों का योग करने उन्हें अग्रहीत करने अथवा किसी प्रश्न अथवा उसके भाग पर अंक देना छूटने की त्रुटि नहीं हुई है। सन्निरीक्षा कार्य में परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तकों में परीक्षक द्वारा मूल्यांकित प्रश्नों के उत्तरों का कदापि पुर्नमूल्यांकन नही किया जायेगा।**

6– उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति का किसी व्यावसायिक उपयोग अथवा प्रकाशन निषिद्ध होगा।

7– किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद के लिए कार्यक्षेत्र माननीय न्यायालय रामनगर जिला नैनीताल होगा।